Compliance Report regarding order dated 12.01.2023 passed by Honourable National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi in O.A. no. 872/2022 Harish Chandra Shukla and others V/s State of U.P.

Background

A grievance application regarding illegal encroachment and construction of Permanent Structure on flood plain area of river wani in Padrauna District Kushinagar. In the grievance application it has been mentioned that a large number of constructions regularly are being raised on flood plain area of river wani and no action has been taken by Concerned Authority despite repeated complaint by complainants. Honourable Tribunal registered the grievance application as O.A. No. 872/2022. Honorable National Green Tribunal passed order on dated. 12.01.2023 in O.A. No. 872/2022.

The related portion of this order is as mentioned below:-

"......2. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of the scheduled enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a Joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Kushinagar who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report indicating identification and demarcation of flood plain zone, extent of encroachment as well as action taken, if any, within two months by e-mail at judidical-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

3. District Magistrate, Kushinagar will be nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 27.03.2023....."

Accordingly a compliance report of orders passed by Honorable N.G.T. on dated 12.01.2023 in O.A. No. 872/2022 has been prepared.

Compliance Report

1. In Compliance of the above said orders, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) nominated Mr. Pankaj Yadav, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur as member of Joint Committee and requested District Magistrate, Kushinagar for necessary action in compliance of order passed by Honourable N.G.T. on dated 12.01.2023 vide letter no. 87631/C-6/Sa-730/O.A. No. 872/2022/2023, dated 23.01.2023. Photo Copy of the said letter is annexed as **annexure- 01**.
2. In compliance of the above said order Additional District Magistrate (Judicial), Kushinagar constituted a Committee for Joint Inspection regarding complaint vide letter no. 528(II)/Vad Sahayak-2023, dated 10.02.2023. Photo Copy of the said letter is annexed as **annexure- 02**.

3. In compliance of the above said order Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Kushinagar called a meeting of Joint Committee Members on dated 16.02.2023 in Collectorate, Kushinagar at 4.00 PM. Photo Copy of the said letter is annexed as **annexure- 03**. Meeting was held in Collectorate, Kushinagar on dated 16.02.2023 and in the meeting it was decided that Joint Committee shall visit the complaint site on dated 23.02.2023.
4. In compliance of the above said order Joint Committee comprising Officer of U.P. Pollution Control Board, Irrigation Department (Flood Control) and District Administration visited the complaint site on dated 23.02.2023. Report of Joint Committee is annexed as **annexure-04**.

Above mentioned compliance report regarding order passed by Honorable N.G.T. on dated 12.01.2023 in O.A. No. 872/2022 is sent for your perusal and further necessary action.

Annexure- As above.

(Pankaj Yadav)
Regional officer
U.P. Pollution Control Board
Gorakhpur

Chief Environmental Officer (C-6),

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 87631/सी.–6/सा0–730/O.A. No.872/2022/2023 Dated 23.1.23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
ई–मेल द्वारा

1414 ROPCB

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **O.A. No.872/2022** हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अद्रर्स बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.872/2022 हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अद्रर्स बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित संलग्न आदेश दिनांक 12.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"..........2. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of the scheduled enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Kushinagar who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report indicating identification and demarcation of flood plain zone, extent of encroachment as well as action taken, if any, within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
3. District Magistrate, Kushinagar will be nodal agency for coordination and compliance.
4. List for further consideration on 27.03.2023......."

मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा 02 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, कुशीनगर को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को नामित किया जाता है, जिनका मो0 07839891824, ई–मेल **rogorakhpur@uppcb.in** है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, कुशीनगर से सम्पर्क कर मा0 अधिकरण के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

आख्या

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित O.A. No. 872/2022 हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ, उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 में तथ्यात्मक आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित O.A. No. 872/2022 हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ, उ0प्र0 पडरौना के अन्तर्गत बाड़ी नदी के फ्लड प्लेन एरिया में अतिक्रमण एवं अवैध स्थायी संरचना निर्माण के सम्बन्ध में है, जिसमें मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.01.2023 को बाड़ी नदी पर अवैध अतिक्रमण एवं स्थायी निर्माण पर वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में स्थल निरीक्षण के उपरान्त तथ्यात्मक आख्या निम्नवत है :-

स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाद में इंगित ड्रेन/नाला ग्राम-बंजारी घाट बुढ़िया माता मन्दिर से निकलकर पडरौना नगर पालिका परिसर, सुगर मिल, राज दरबार, रामधाम पोखरा होते हुए मुसहरी टोला झरही नाले में गिरती है, जो बाड़ी नदी/नाले से सम्बन्धित नहीं है। वाद में इंगित ड्रेन /नाला सिंचाई विभाग में सूचीवद्ध नहीं है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नाले में पूर्व से ही सुगर मिल द्वारा पाइप लगाया गया है, जिससे नगर पालिका पडरौना व सुगर मिल के पानी व बरसात के पानी की निकासी होती है। उक्त ड्रेन/नाले पर कही-कही आस-पास के व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है एवं कृषि कार्य एवं पोखरा की खुदाई किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण नाले की भूमि पर दिवाल चलाया गया है। पूछ-ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थल कास्तकारी भूमि है, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा साक्ष्य के रूप में स्टैम्प पेपर व खतौनी की प्रति उपलब्ध कराया गया (सलंग्नक-01)। नाला/ड्रेन से सम्बन्धित विवरण का नजरी नक्शा व फोटोग्राफ्स संलग्न है(संलग्नक-02)।

परन्तु मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित O.A. No. 872/2022 हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ, उ0प्र0 में इंगित बाड़ी नदी पडरौना पर कोई अवैध अतिक्रमण एवं स्थायी संरचना निर्माण नहीं है, जैसा कि संलग्नक-2 में दर्शाया गया है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

(पंकज यादव)	(महेश कुमार सिह)	(देवी दयाल वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	बाढ़ खण्ड कुशीनगर	कुशीनगर।
गोरखपुर।		

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली– 110001

संख्या 1093 /सामान्य 298/2023 दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 872/2022 हरिश चन्द्र शुक्ला एण्ड आदर्श बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुए 02 माह में एक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कुशीनगर एवं अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) कुशीनगर की संयुक्त समिति द्वारा जाँच करायी गयी, जिसके क्रम में समिति द्वारा दिनांक 22.02.2023 को स्थलीय जॉच कर अपनी संयुक्त आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक– एक्शन टेकेन रिपोर्ट।

भवदीय

(रमेश रंजन),
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

संख्या /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 23.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर

पत्रॉक– 1827 /वाद सहा0–2023, दिनॉक, फरवरी 13 2023

1. श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी,
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
2. अधि0अभि0 बाढ़ खण्ड,
   कुशीनगर।

कृपया सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर लखनऊ के पत्रॉक–187631/सी.–6/सा0–714/O.A. No.872/2022/2023, दिनॉक–23.01.2023, जिसकी के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 872/2022, हरीश चन्द्र शुक्ला एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनॉक–12.01.2023 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा 02 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक–12.01.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कुशीनगर । (अध्यक्ष)
2. श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर। (सदस्य)
3. श्री एम0के0 सिंह, अधि0अभि0 बाढ़ खण्ड, कुशीनगर। (सदस्य)

उक्त कमेटी की बैठक दिनॉक–16.02.2023 को अपरान्ह् 04.00 बजे कलेक्ट्रेट में आहूत की जाती है। कृपया बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कुशीनगर। 13/2/23

S.A.

संख्याः /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कुशीनगर।

संलग्नक-1

संलग्नक-02